भाग – ।।
(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

ऑनलाईन प्रस्ताव क्रम संख्या/ FP/MP/ROAD/30035/2017

7	परियोजना/स्कीम का स्थान		3.376 हेक्टेयर
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	(i)	मध्यप्रदेश
(ii)	जिला	(ii)	रतलाम
(iii)	वन प्रभाग	(iii)	वनमण्डल रतलाम/वनपरिक्षेत्र रतलाम, शिवगढ़, बाजना के वनखण्ड का नाम वनखण्ड माही भाग–1, वनखण्ड माही भाग–5, एवं सांभर खो एफ, आवेदित क्षेत्र 3.376 हेक्टेयर जिसका विवरण निम्नानुसार है :– (अ) वन विभाग के अधीन वन भूमि में –

परिक्षेत्र का नाम	आरक्षित/संरक्षित वनखण्ड का नाम	कक्ष क्रमांक	आवेदित क्षेत्र
01	**02**	**03**	**04**
शिवगढ़	वनखण्ड माही भाग–1	R-61	0.4312
		R-62	0.1436
		R-67	1.5396
बाजना	वनखण्ड माही भाग–5	P-79	1.1616
रतलाम	साम्भर खो एफ	P-150	0.100
	योग :–		**3.376**

(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	(iv)	3.376 हेक्टेयर
(v)	वन की कानूनी स्थिति	(v)	आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र
(vi)	वनों का घनत्व	(vi)	प्रस्तावित वनक्षेत्र पी–79, आर–61, 67 पुर्नस्थापना कार्यवृत्त, एवं वनक्षेत्र पी–150, आर–62 चारागाह विकास कार्यवृत्त में होकर घनत्व 0.4 से कम व BL2 एवं BL3 का होना पाया गया।
(vii)	आवेदित क्षेत्र में स्थित वृक्षों की परिगणना संलग्न की जाए। सिंचाई/विघुत परियोजना के संबंध में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल.–2 मीटर और एफ.आर. एल.– 4 मीटर पर भी वृक्ष गणना संलग्न किया जाए।	(vii)	आवेदित वन क्षेत्र में कोई बहुमूल्य प्रजाति के वृक्ष होना नही पाया गया है।
(viii)	भू–क्षरण के लिये वन क्षैत्र की संवेदनशील पर संक्षिप्त टिप्पणी (वर्तमान भू–क्षरण की तीव्रता एवं प्रस्तावित परियोजना में वनक्षेत्र व्यपवर्तन होने पर सम्भावित भू–क्षरण बाबत्)	(viii)	आवश्यक नही है।

Scanned with CamScanner

(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी	(ix)	आवेदित क्षेत्र आरक्षित वनखण्ड माही भाग–1 एवं संरक्षित वनखण्ड साम्भर खो एफ, माही भाग–5 की सीमा में है।
(x)	क्या आवेदित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है। (यदि हॉ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियॉ अनुबंधित की जाए)	(x)	आवेदित वनक्षेत्र संरक्षित क्षेत्र/सैलाना अभ्यारण्य क्षेत्र से लगभग 9.00 कि.मी. दूरी पर है। जो ईको सेंसिटिव जोन 2 कि.मी. की परिधि में नहीं आता है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/ संकटापन्न/विशिष्ठ प्रजातियॉ पाई जाती है, यदि हॉ/ तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	(xi)	निरंक
(xii)	क्या कोई संरक्षित पुरात्तवीय/ पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षैत्र में स्थित है। यदि हॉ, तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	(xii)	आवेदित क्षेत्र तथा इसके आसपास में संरक्षित पुरात्तवीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और अन्य महत्वपूर्ण स्मारक नही है। इस संबंध में प्रमाण–पत्र संलग्न है।
8	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कॉलम–2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नही, तो जॉचे गये विकल्पों के ब्यौरो के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	8	आवेदित क्षेत्र पूर्व प्रचलित मार्ग रतलाम–बाजना–कुशलगढ़ की चौड़ाकरण कर उन्नयन कार्य करने के अंतर्गत वनभूमि में न्यूनतम वनक्षेत्र का उपयोग किया जावेगा, आवेदक विभाग द्वारा इस संबंध में विकल्प मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। जो आवश्यक नहीं है। इस संबंध में प्रमाण–पत्र संलग्न है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है ? (हॉ/नही) यदि हॉ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्योरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे है?	9	हॉ, आवेदक विभाग को वनक्षेत्र होने संबंधी जानकारी नही होने से अधिनियम के उल्लंघन कर सी.सी. रोड निर्माण कार्य किया गया है। संबंधित विभाग को लेख कर कार्य बन्द कराया गया है।
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा –		
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये निर्धारित वनेत्तर क्षैत्र/अवक्रमित (बिगड़ा) वन क्षैत्र, आस–पास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार	(i)	प्रतिपूरक वनीकरण हेतु वन मण्डल रतलाम में वन परिक्षेत्र सैलाना के ग्राम शेरपुर तह. पिपलोदा के अन्तर्गत भूमि सर्वे नम्बर 858 रकबा 3.376 हेक्टेयर उपलब्ध कराया गया है।

प्रजाति			स्थिति (कृपया टिक करें)		
अ.क्र.	स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	दुर्लभ	संकटापन्न	विशिष्ट
1.					
2.	.....	.....	.....		

Scanned with CamScanner

(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए निर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे मे और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकारी (उप वनसंरक्षक) का प्रमाण–पत्र	(ii)	प्रतिपुरक वनीकरण उपयोगिता प्रमाण–पत्र वनमण्डलाधिकारी–रतलाम द्वारा प्रमाणित किया गया है। प्रमाण पत्र संलग्न है।
(iii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वनक्षेत्र और आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप (गैर वन भूमि भी वन मानचित्र पर दर्शाई जावे) वनीकरण हेतु चयनित भूमि का पी.डी.ए. अथवा मोबाईल मैपर से सर्वेक्षित डिजिटल मानचित्र (सॉफ्ट–कॉपी)–5 हेक्टेयर से कम के प्रकरणों में 1:3960 स्केल (पटपारी मानचित्र 16 इंच=1 मील) भी संलग्न किया जावें।	(iii)	प्रतिपुरक वनीकरण हेतु डिजिटल मानचित्र संलग्न है।
(iv)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनिकरण स्कीम का विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूचित लागत ढाचा आदि	(iv)	रोपित की जाने वाली प्रजाति एवं प्रतिपुरक वनीकरण प्राक्कलन संबंधी योजना तैयार किया गया है, जो संलग्न है।
11	उप वन संरक्षक (वनमण्डलाधिकारी) की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कॉलम 7(xi,xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	11	वनमण्डलाधिकारी श्री डी.एस. डोडवे द्वारा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 02–10–2021 निर्धारित प्रारूप पर संलग्न है।
12	विभाग/जिला प्रोफाईल	12	वनमण्डलाधिकारी, रतलाम
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	(i)	जिले का कुल भोगोलिक क्षेत्र 4861 वर्ग किलो मीटर है।
(ii)	जिले का वन क्षैत्र	(ii)	जिले का कुल वनक्षेत्र 48.23 वर्ग कि.मी. है। जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.7 % है।
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षैत्र	(iii)	अभी तक जिले में 24 प्रकरणों में कुल 389.365 हेक्टेयर वन क्षेत्र गैर वानिकी कार्य हेतु प्रयोग में लाया गया।

Scanned with CamScanner

1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (दांडिक प्रतिपूरक वनीकरण सहित)	(iv)	दिनांक 24–10–1980 से भारत सरकार/राज्य सरकार/नोडल अधिकारी मुख्य वनसंरक्षक (भू–सर्वे) से प्राप्त स्वीकृति अनुसार अभी तक 16 प्रकरणों में कुल 401.220 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रतिपूरक वनीकरण कार्य हेतु प्रयोग में लाया गया है :–

वर्ष	दुगने बिगड़े वनक्षेत्र में (हे. मे)	दण्डस्वरूप वनभूमि पर (हे. मे)	स्वीकृति अनुसार गैर वनभूमि पर (हे. मे)	दण्डस्वरूप गैर वनभूमि पर (हे. मे)	योग
1989	-	-	20.350	-	20.350
1990	-	-	7.880	-	7.880
1990	-	-	6.600	-	6.600
1999	-	16.600	8.300	-	24.600
1999	-	-	19.120	-	19.120
2007	-	-	39.590	-	39.590
2010	-	-	8.260	-	8.260
2014	-	-	34.43	-	34.43
2015	-	-	20.780	-	20.780
2016	-	-	105.00	-	105.00
2018	-	-	98.780	-	98.780
2019	-	-	12.40		12.40
योग :–		**16.600**	**381.49**	**-**	**397.79**

(क) वनभूमि पर **16.600** हेक्टेयर
(ख) वनेत्तर भूमि पर **381.49** हेक्टेयर
स्वीकृति अनुसार किया जाने वाला कुल वृक्षारोपण **397.79** हेक्टेयर

प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	(v)	अभी तक जिले में निम्नानुसार प्रतिपूरक वृक्षारोपण किया गया है,

वर्ष	दुगने बिगड़े वनक्षेत्र में (हे. मे)	दण्डस्वरूप वनभूमि पर (हे. मे)	स्वीकृति अनुसार गैर वनभूमि पर (हे. मे)	दण्डस्वरूप गैर वनभूमि पर (हे. मे)	योग	व्यय लाख में
1992-93	-	-	20.350	-	20.350	1.87
99-2000	-	16.600	-	-	16.600	1.82
2010-11	-	-	39.590	-	39.590	54.33
2013-14	-	-	26.700	-	26.700	51.73
2014-15	-	-	8.260	-	8.260	18.76
2016-17	-	-	138.600	-	138.600	206.99
2019-20	-	-	12.40	-	12.40	12-18
योग :–	-	**16.600**	**245.90**		**262.500**	347-69

(क) वनभूमि पर **16.600** हेक्टेयर
(ख) वनेत्तर भूमि पर **245.9** हेक्टेयर
अभी तक किया गया कुल वृक्षारोपण **262.50** हेक्टेयर

Scanned with CamScanner

13	प्रस्ताव को स्वीकृति करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक का कारण सहित अभिमत नोट – आवेदित वन भूमि के व्यपवर्तन से जिले/राज्य के वन एवं पर्यावरण पर संभावित विपरीत प्रभाव एवं प्रस्तावित परियोजना से सम्भावित लाभों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव मान्य/अमान्य करने बाबत् स्पष्ट अभिमत दिया जावे। यदि किन्ही विशेष शर्तो के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति पर विचार किया जा सकता है तो उन शर्तो का ब्यौरा दिया जावें।	13	प्रस्तावित रतलाम–बाजना–कुशलगढ मार्ग पूर्व से प्रचलित मार्ग होने से मार्ग का उन्नयन कार्य निर्माण वन क्षेत्र मे 3.376 हेक्टेयर चारागाह विकास /पुर्नस्थापना कार्यवृत्त के अंतर्गत BL2 एवं BL3 का होकर 0.4 से कम घनत्व का वन क्षेत्र होने से निर्माण कार्य किया जाना है। जिससे मार्ग निर्माण होने से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में आवगमन एवं माल ढुलाई का कार्य तीव्रगति से किया जा सकेगा।अतः प्रकरण की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक : 12–10–2021
स्थान : रतलाम

[डी.एस. डोडवे]
वनमण्डलाधिकारी
रतलाम (म.प्र.)

Scanned with CamScanner